न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या – 85 / 2020
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2020 / 00091

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
भंवरसिंह पुत्र हुक्मसिंह जाति राजपूत निवासी कोलाडूंगरी तहसील परबतसर जिला नागौर		1. तहसीलदार, परबतसर 2. हल्का पटवारी, बिदियाद तहसील परबतसर 3. महेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत 4. जितेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासीगण कोलाडूंगरी तहसील परबतसर जिला नागौर 5. छितरराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट 6. गोविन्दराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासीगण बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. **अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास।**
2. **रेस्पोडेण्ट संख्या–1 व 2 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया, रेस्पोडेन्ट संख्या–3 व 4 की ओर से वकील श्री प्रेमराज गेहलोत।**

निर्णय **दिनांक** 04/02/2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार परबतसर द्वारा मुकदमा नम्बर 32 / 2019 अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.01.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि हल्का पटवारी बिदियाद ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2076 में सरहद बिदियाद के खसरा नम्बर 156 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि किस्म गैर मु. रास्ता में बाड लगाकर अतिक्रमण किया है जिस पर धारा 91(3) एल.आर.एक्ट 1956 के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह की ओर से जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 13.12.2019 को भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट पेश हुई। जिसके पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध बेदखली, जुर्माना एंव तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने बाबत दिनांक 17.12.2019 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2019 पूर्णतया अवैध विधि विरूद्ध एंव बिना प्रक्रिया अपनाऐ पारित किया गया होने से एवं अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एंव पत्रावली का अवलोकन किए बिना आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। हल्का पटवारी ने खसरा नम्बर 156 गे.मु. रास्ते की भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण बताकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो टी.पी. रिपोर्ट पेश की वह पूर्ण रूप से अपूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:24:35 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

थी क्योंकि हल्का पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया गया कि अपीलांट द्वारा उक्त खसरा नम्बर 156 में किस स्थान पर कब्जा किया गया है, न ही टी.पी. रिपोर्ट के साथ कोई नक्शा पेश किया किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए जो आदेश जैर अपील पारित किया है वह काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.12.2019 के अनुसार अप्रार्थी रणजीतसिंह व हनुमानराम वक्त कार्यवाही फौत हो चुके थे, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट था कि हल्का पटवारी ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही पेश की थी, जो कार्यवाही चलने योग्य नहीं थी। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय ने मृत अप्रार्थी रणजीतसिंह व हनुमानराम के विधिक वारिसान के नाम नोटिस बिना किसी कारण के जारी कर दिये जबकि धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ही की जा सकती है, न कि उनके मरने पर उनके विधिक वारिसान के विरूद्ध। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्ण रूप से अवैध एंव मनमाने ढंग तरीके से कार्यवाही करते हुए जो आदेश जैर अपील पारित किया है। वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट भंवरसिंह की तामील करवाये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जितेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतसिंह की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें जितेन्द्रसिंह ने विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना अंकित किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आर. आई. हल्का व पटवारी हल्का के पुनः रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर दिनांक 12.12.2019 को आर. आई. हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, जिसमे सुरेन्द्रसिंह का विवादित खसरा नम्बर पर अतिक्रमण बताया गया। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का अतिक्रमण होना इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध जो सिविल कारावास बाबत आदेश जैर अपील पारित किया है। वह काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना पश्चात्वृति अतिक्रर्मी माने जो सिविल कारावास से दण्डित किया है वह आदेश पूर्णतया अवैध एंव विधि विरूद्ध है क्योंकि धारा 91 एल.आर.एक्ट में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जब तक किसी भी व्यक्ति का पश्चात्वृर्ति अतिक्रमण अर्थात पूर्व में उसी भूमि से बेदखल किये जाने के पश्चात् दोबारा अतिक्रमण करना, जब तक साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे सिविल कारावास से दण्डित नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसा कहीं अंकित नहीं किया गया है कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर दोबारा अतिक्रमण किया हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध जो सिविल कारावास से दण्डित किये जाने बाबत आदेश जैर अपील पारित किया है वह काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अलग–अलग अतिक्रर्मियों के विरूद्ध विधि अनुसार संयुक्त कार्यवाही नहीं की जा सकती, इस कारण भी आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील अपीलान्ट ने बहस जारी रखते हुए यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान ग्राम बिदियाद दिनांक 04.02.2020 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 156 गैर मुमकिन रास्ते में कोई अतिकमण नहीं होने की रिपोर्ट है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 32 / 19 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2019 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया है।

वकील श्री प्रेमराज गेहलोत ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने पर उन्हे कोई एतराज नहीं होने का कथन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस क विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि पटवारी बिदियाद एवं भू–अभिलेख निरीक्षक परबतसर की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम बिदियाद के खसरा नम्बर 156 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की 0.25 हैक्टयर भूमि पर बाड़ करके नाजायज किया जाना साबित होने से निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो सही है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान ग्राम बिदियाद दिनांक 04.02.2020 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 156 गै.मु. रास्ता ... मौके पर पहुँच कर मुताबिक नक्शाशीट व नक्शा लट्टा एवं दोनों पक्षों से विचार विमर्श कर ... सहमति से मौके पर निशानात् करवाये गये एवं दोनों पक्षों ने जहां–जहां रास्ते में अवरूद्ध था स्वय द्वारा हटा लिया गया। अब यह रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

मौके पर आवागमन हेतु चालू कर दिया गया अर्थात अब उक्त रास्ते में कोई अतिक्रमण नहीं है। इस रिपोर्ट पर अपीलान्ट द्वारा भी अपने हस्ताक्षर किये गये है। इस प्रकार उक्त फर्द मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर पूर्व में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसे अब हटा लिया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या–32/19 राज. सरकार बनाम भंवरसिंह वगैरह में अप्रार्थी भंवरसिंह पुत्र हुकमसिंह व महेन्द्रसिंह, जितेन्द्र सिंह पि. रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी कोला डूंगरी व छीतरराम, गोविन्दराम पि. हनुमानराम जाति जाट निवासी बिदियाद के विरूद्ध दिनांक 17.12.2019 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने एवं 3 माह के साधारण कारावास व जुर्माना से दण्डित किया गय है। उक्त निर्णय के विरूद्ध भंवरसिंह पुत्र हुकमसिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है, इसलिए अपीलान्ट भंवरसिंह की हद तक विचार किया जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित है।

प्रकरण में पटवारी बिदियाद एवं भू–अभिलेख निरीक्षक परबतसर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर के समक्ष दिनांक 11.11.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम बिदियाद के खसरा नम्बर 156 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की 0.25 हैक्टयर भूमि पर बाड़ करके नाजायज किया जाना साबित है। उक्त रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान ग्राम–बिदियाद दिनांक 04.02.2020 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 156 गै.मु. रास्ता पर गठित टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर मुताबिक नक्शाशीट व नक्शा लट्टा एवं दोनों पक्षों से विचार विमर्श कर आपसी सहमति से मौके पर निशानात् करवाये गये एवं दोनों पक्षों ने जहां–जहां रास्ते में अवरूद्ध था स्वंय द्वारा हटा लिया गया। अब यह रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू कर दिया गया अर्थात अब उक्त रास्ते में कोई अतिक्रमण नहीं है। राज पैरोकार के अनुसार इस रिपोर्ट पर अपीलान्ट द्वारा भी अपने हस्ताक्षर किये गये है। इस प्रकार उक्त फर्द मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर पूर्व में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिस पर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। चूँकि उक्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं है, इसलिए अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में अपीलान्ट को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश अपीलान्ट की हद तक अपास्त किया जाता है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested